<u>न्यायालयः— आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील चंदेरी</u> चन्देरी जिला—अशोकनगर म0प्र0

<u>दांडिक प्रकरण क.-175/15</u> संस्थित दिनांक- 03.08.2015

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र चंदेरी जिला अशोकनगर।

.....अभियोजन

विरुद्ध

- 1. कृपाल सिंह पुत्र चन्दन सिंह लोधी उम्र 56 साल
- 2. सुल्तान सिंह पुत्र कृपाल सिंह लोधी
- 3. प्रवेश पुत्र ब्रजभान सिंह लोधी उम्र 33 साल
- 4. नारायण पुत्र राजाराम लोधी उम्र 31 साल सभी निवासीगण ग्राम कुंवरपुर थाना चंदेरी जिला– अशोकनगर म०प्र०

.....फौत

.....अभियुक्तगण

—: <u>निर्णय</u> :— (आज दिनांक 31.07.2017 को घोषित)

- 01— अभियुक्तगण के विरूद्ध भा०द०वि० की धारा 294, 324 अथवा 324/34, 323 अथवा 323/34 (तीन शीर्ष), 341, 506 भाग—दो के दण्डनीय अपराध के आरोप है कि उन्होंने दिनांक 22.02.2015 को समय रात 07:30 बजे लगभग थाना चंदेरी ग्राम कुंवरपुर स्थित फरियादी के मकान के सामने फरियादी का रास्ता रोककर सदोष अवरोध कारित कर लोक स्थान पर फरियादी को मां बहन की अश्लील गालियां उच्चारित कर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित किया तथा फरियादी धीरज सिह सहित कुसुमबाई, परवेश व महेश को उपहित कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में महेश को धारदार हथियार से एवं कुसुमबाई, परवेश व धीरजिसेंह लातधूंसो एवं डंडों से स्वेच्छया उपहित कारित की एवं जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।
- 02— अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 22.02.2015 को रात 07:30 बजे फरियादी धीरज सिंह अपने घर के बाहर खडा था, कृपाल सिंह, सुल्तान, परवेश एवं नारायण समाज लोधी मंदिर की तरफ से ढोल बजाते हुये आये। तब धीरज द्वारा उनसे मना किया कि ढोल मत बजायो, गाय लग रही है, वह बिचक जायेगी और मां की तबीयत खराब है, उन्हें घबराहट हो रही है, इसी बात पर से अभियुक्तगण धीरज को बुरी बुरी गालियां देने लगे गालियां देने से मना किया तो सुल्तान ने धीरज के साथ मारपीट कर दी, जिससे मुन्दी चोट आयी, धीरज को बचाने के लिये उसकी मां कुसुमबाई, परवेश, महेश आये तो चारों ने डण्डा लातघूंसों से इनकी भी मारपीट कर दी, जिससे शरीर में चाटें आयी। घटना स्थल पर जगत लोधी, रामदास लोधी, पंचमसिंह थे, जिन्होंने घटना देखी। फरियादी धीरज द्वारा पुलिस थाना चंदेरी में अभियुक्तगण के विरुद्ध रिपोर्ट लेखबद्ध कराई।

फरियादी की रिपोर्ट पर से अभियुक्तगण के विरूद्ध पुलिस थाना चंदेरी के अपराध कमांक—49 / 15 अंतर्गत धारा—294, 323, 324, 325, 506बी, 341, 34 भा0द0वि0 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विवेचना की गई बाद आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

- 03— प्रकरण में उल्लेखनीय है कि दिनांक—31.07.17 को फरियादी धीरज सहित कुसुमबाई, परवेश एवं महेश के द्वारा अभियुक्तगण से राजीनामा करने बाबत आवेदन अंतर्गत धारा 320 (2) एवं 320 (8) द0प्र0स0 के प्रस्तुत किये गये जिन्हें स्वीकार करते हुए अभियुक्तगण को भा0द0वि0 की धारा—294, 323 अथवा 323/34 तीन शीर्ष, 506 भाग—दो, 341 के तहत् दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया गया। भा0द0वि0 की धारा—324 अथवा 324/34 शमनीय प्रकृति की न होने से उक्त धारा के तहत अभियुक्तगण पर विचारण किया गया।
- 04— अभियुक्तगण को उसके विरूद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध का आरोप पढ कर सुनाये गये उसने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्तगण का परीक्षण अंतर्गत धारा—313 द0प्र0सं0 में कहना है कि वह निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है।
- 05— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :--
 - 1. क्या दिनांक 22.02.2015 को रात्रि 07:30 बजे ग्राम कुंवरपुरा फरियादी के मकान के सामने अभियुक्तगण ने महेश को धारदार हथियार से स्वेच्छया उपहति कारित की ?

अथवा

क्या उक्त दिनांक समय व स्थान पर अभियुक्तगण ने महेश को उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मिम कर उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में धारदार हथियार से महेश को स्वेच्छया उपहति कारित की ?

2. | दोषसिद्धि अथवा दोष मुक्ति ?

-:: सकारण निष्कर्ष ::-

06— अभियोजन की ओर से प्रकरण में हुये राजीनामें एवं अभिलेख पर आई साक्ष्य को देखते हुये फरियादी धीरज (अ0सा0—1) सिहत घटना में आहत मुकेश (अ0सा0—2), कुसुम बाई (अ0सा0—3), परवेश (अ0सा0—4) के कथन न्यायालय में कराये गये। फरियादी धीरज सिंह (अ0सा0—1) का अपने न्यायालीन कथनों में कहना है कि दो वर्ष पहले रात्रि 8—9 बजे अभियुक्तगण उसके घर के बाहर आकर ढोल बजा रहे थे और जब उसने उनसे घर के आगे ढोल बजाने की मना कर आगे जाकर ढोल बजाने का कहा तो अभियुक्तगण ने उसके साथ मुंहवाद किया। फरियादी धीरज (अ0सा0—1) का कहना है कि अभियुक्तगण ने उसे गालियां दी थी जिसके बाद गांव वालों ने उसका बीच बचाव किया था।

- 07—फरियादी धीरज (अ0सा0—1) के उपरोक्त कथनों को बचाव पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षण में कोई चुनौती नहीं दी गयी जिससे फरियादी के कथन इस संबंध में अखिण्डत हैं कि घटना दिनांक को फरियादी के घर के बाहर अभियुक्तगण के द्वारा ढोल बजाने को लेकर रात्रि 7—8 बजे के समय विवाद हुआ था। उक्त विवाद में अभियुक्तगण ने फरियादी सिहत उसके भाई महेश, मां कुसुमबाई व बहू परवेश के साथ मारपीट की तथा घटना में उन्हें अभियुक्तगण की मारपीट से उपहित कारित हुयी, इस संबंध में फरियादी ने अपने न्यायालीन कथनों में अभियोजन के समर्थन में कथन न देते हुये अभियोजन घटना के विरूद्ध अभियुक्तगण से मात्र मुंहवाद होना बताया हैं तथा फरियादी धीरज (अ0सा0—1) का यह भी कहना है कि घटना के समय उसके परिवार के लोग घर नहीं थे वह घर पर अकेला था।
- 08— अतः फरियादी धीरज (अ०सा0—1) के अनुसार घटना के समय महेश (अ०सा0—2), कुसुमबाई (अ०सा0—3) व परवेश (अ०सा0—4) उपस्थित नहीं थें तथा घटना में अभियुक्तगण ने मात्र फरियादी धीरज से मुंहवाद किया था तथा किसी अन्य के साथ मारपीट कर उपहित कारित नहीं की थी। फरियादी धीरज (अ०सा0—1) के न्यायालय में दिये गये कथनों में पुष्टि करते हुये अभियोजन घटना के विपरीत महेश (अ०सा0—2), कुसुमबाई (अ०सा0—3) व परवेश (अ०सा0—4) ने भी न्यायालय में यह कथन दिये हैं कि उनके सामने कोई घटना घटित नहीं हुयी तथा उनके साथ आरोपीगण ने कोई मारपीट नहीं कीं।
- 09—कुसुमबाई (अ0सा0—3) व परवेश (अ0सा0—4) जहां घटना की जानकारी होने से ही इन्कार करती हैं। वही महेश (अ0सा0—2) अपने कथनों में यह तो स्वीकार करता है कि उसके भाई से आरोपीगण का विवाद हुआ था, परन्तु विवाद किस बात को लेकर हुआ तथा घटना के समय वह मौके पर था एवं अभियुक्तगण ने उसके साथ तथा उसके भाई मां एवं पत्नी के साथ मारपीट कर उपहित कारित की। इस संबंध में इस साक्षी ने अपने कथनों में अभियोजन का लेषमात्र भी समर्थन नहीं किया।
- 10— महेश (अ०सा0—2) सिहत धीरज (अ०सा0—1) का कहना है कि महेश अपनी पत्नी व मां के साथ घटना के समय करीला मंदिर पर गया था तथा स्वयं महेश के अनुसार घटना में उसे कोई चोट नही आयी थी बिल्क मंदिर पर जाते समय ट्रॉली का टायर पंचर होने से उसे मामूली चोटें आयी थी। अतः महेश (अ०सा0—2) के अनुसार घटना दिनांक को उसके शरीर पर चोटें अवश्य थी परन्तु उक्त चोटें अभियुक्तगण की मारपीट का परिणाम नहीं थी बिल्क ट्रॉली का टायर पंचर होने से आयी थी।
- 11— घटना दिनांक को अभियुक्तगण ने फरियादी के साथ मारपीट कर उसे उपहित कारित की एवं मौके पर बीच बचाव में महेश (अ0सा0—2), कुसुमबाई (अ0सा0—3) व परवेश (अ0सा0—4) उपस्थित थे एवं उनके साथ भी अभियुक्तगण ने मारपीट कर उन्हें उपहित कारित की जिसमें महेश को धारदार वस्तु की उपहित कारित हुयी, इस घटना को प्रमाणित करने के लिये अभिलेख पर कोई साक्ष्य उपलब्ध नही हैं। स्वयं फरियादी सहित घटना में आहत महेश (अ0सा0—2), कुसुमबाई (अ0सा0—3) व परवेश (अ0सा0—4)

ने अभियोजन का इस बात पर समर्थन नहीं किया कि घटना के समय महेश (अ०सा0—2) मोके पर था तथा उसके साथ अभियुक्तगण ने मारपीट कर उसे किसी धारदार हथियार से उपहति कारित की।

- 12— अभियोजन का समर्थन न करने के कारण फरियादी धीरज (अ०सा0–1) सहित महेश (अ0सा0—2), कुसुमबाई (अ0सा0—3) व परवेश (अ0सा0—4) को अभियोजन के द्वारा पक्षविरोधी कर उनका विस्तृत परीक्षण किया गया परन्तु इन साक्षियों ने आरोपित अपराध के संबंध में अभियोजन का लेषमात्र भी समर्थन नहीं किया जो कि संभवतः प्रकरण हुये राजीनामे का परिणाम प्रतीत होता है।
- 13— अतः साक्ष्य के अभाव में एवं फरियादी सहित साक्षियों के द्वारा पक्षविरोधी हो जाने के बाद अभियोजन यह साबित करने में पूरी तरफ से असफल रहा है कि दिनांक-22.02.2015 को रात्रि 07:30 बजे ग्राम कुवरपुरा फरियादी के मकान के सामने अभियुक्तगण ने महेश को धारदार हथियार से स्वेच्छया उपहति कारित की अथवा उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में धारदार हथियार से महेश को स्वेच्छया उपहति कारित की।
- 14— फलस्वरूप **अभियुक्तगण कृपाल सिंह पुत्र चन्दन सिंह लोधी, प्रवेश पुत्र ब्रजभान सिंह** लोधी, नारायण पुत्र राजाराम लोधी के विरूद्ध भा0दं0वि0 की धारा—324 अथवा 324 / 34 के आरोप साबित नहीं होते हैं। उपरोक्त आधार पर अभियुक्तगण कृपाल सिंह पुत्र चन्दन सिंह लोधी, प्रवेश पुत्र ब्रजमान सिंह लोधी, नारायण पुत्र राजाराम लोधी को भा0दं0वि० की धारा–324 अथवा 324/34 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोष मुक्त घोषित किया जाता है।
- 15— अभियुक्तगण कृपाल सिंह पुत्र चन्दन सिंह लोधी, प्रवेश पुत्र ब्रजभान सिंह लोधी, नारायण पुत्र राजाराम लोधी के उपस्थिति संबंधी जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते है। अभियुक्तगण का धारा–428 द0प्र0सं० का प्रमाण पत्र तैयार कर संलग्न किया जावे। प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति अपील अवधि पश्चात् नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में माननीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)